''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''

''पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 जून 2004—आषाढ़ 4, शक 1926

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मई 2004

क्रमांक 1323/270/04/1-8.—श्री पी.के. बीसी, संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी को आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से पदेन रूप से विशेष सचिव योजना एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रहास बेहार, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2004.

रायपुर, दिनांक 20 मई 2004

विषय:— छत्तीसगढ़ सिविल सर्विसेज खेल मंडल के सदस्यों का नामांकन.

क्रमांक एफ 5-1/03/कक/1-9.—सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प क्रमांक एफ 5-1/2003/1-9/सा.प्र.वि./9-1 दिनांक 18-7-2002 की कंडिका 4 (6) एवं 4 (7) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सिविल सर्विसेज खेल मंडल में वर्ष 2004-2005 के लिए निम्नलिखित सदस्य नामांकित किये जाते हैं :—

कंडिका 4 (6) के अंतर्गत

1. श्री संजय शर्मा (बाडी बिल्डिंग) खनिज निरीक्षक, रायपुर
2. श्रीमती संगीता राजगोपालन (बेडमिंटन) आई.टी.आई., भिलाई
3. श्री विलियम लकड़ा (हाकी) डी.एस.ओ., रायपुर
4. श्री अनिल टुटेजा, उप सचिव, मुख्यमंत्री, छ. ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर
5. श्री राजेन्द्र डेकाटे (बालीबाल) डी.एस.ओ. राजनांदगांव.

कंडिका 4 (7) के अंतर्गत

श्री बी. के. अग्रवाल, संयुक्त सचिव, राजभवन सचिवालय, रायपुर

2. उपरोक्त समस्त सदस्यों का नामांकन दिनांक 1-4-2004 से एक वर्ष के लिए किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजयपाल सिंह, विशेष सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 जून 2004

क्रमांक 1365/851/2004/1/2/लीव.—श्री जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर, राजनांदगांव को दिनांक 7-6-2004 से 11-6-2004 तक (5 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है, साथ ही दिनांक 6, 12 एवं 13 जून, 2004 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती हैं.

2. श्री जी. एस. मिश्रा के अवकाश अवधि में श्री अमृत खलखों, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजनांदगांव अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ-साथ कलेक्टर, राजनांदगांव का चालू कार्य सम्पादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री जी. एस. मिश्रा, भा.प्र.से. आगामी आदेश तक कलेक्टर, राजनांदगांव के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

4. अवकाश काल में श्री जी. एस. मिश्रा, भा.प्र.से. को अवकाश वेतन एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

5. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. एस. मिश्रा, भा.प्र.से. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, अवर सचिव.

गृह विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2004

क्रमांक एफ 6-42/गृह/2001.—छत्तीसगढ़ लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 (क्रमांक 46 सन् 1974) की धारा 3 (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा संचालक सम्पदा, संपदा संचालनालय, रायपुर को अपने अधिकारिता के भीतर उक्त अधिनियम के अधीन कार्य करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. बगाई, अपर मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 15 अप्रैल 2004

क्रमांक एफ 6-42/गृह/2001.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना, समसंख्यक दिनांक 15-4-2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. बगाई, अपर मुख्य सचिव.

Raipur, the 15th April 2004

No. F 6 & 42/Home/2001.—In exercise of the powers conferred by Section 3 (B) of the Chhattisgarh Lok Parisar (Bedakhali) Adhiniyam, 1974 (No. 46 of 1974), the State Government, hereby, appoints Director State, Raipur to act as Competent Authority under the above Act within their respective jurisdiction.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. P. BAGAI, Additional Chief Secretary

रायपुर, दिनांक 18 मई 2004

क्रमांक एफ 4-157/2003.—रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम, 1934 की धारा 58 (ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 58 (ख) की उपधारा 5 (क) के अधीन दण्डनीय अपराधों के संबंध में सक्षम न्यायालय में लिखित शिकायत प्रस्तुत करने हेतु राज्य में पदस्थ ऐसे समस्त थाना प्रभारियों को जो निरीक्षक से अनिम्न श्रेणी के हैं, को सशक्त करती है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. बगाई, अपर मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 18 मई 2004

क्रमांक एफ 4-157/2003.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 18-5-2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. बगाई, अपर मुख्य सचिव.

Raipur, the 18th May 2004

No. F 4-157/2003.—In exercise of the powers conferred by Section 58 (E) of Reserve Bank of India Act, 1934, The State Government hereby empowers all station house officers not below the rank of inspector's posted in State to make complaint in writing in competent court, in respect of any offence punishable under sub section 5 (A) of section 58 (B) of the said Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. P. BAGAI, Additional Chief Secretary

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 जून 2004

क्रमांक एफ 7-1/2002/(6)/11.—राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-7-1-11/वा. उ./2002 दिनांक 15 1-2003 जिसके द्वारा राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड का गठन किया गया था, को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है. आगामी आदेश पर्यन्त राज्य बोर्ड छत्तीसगढ़ औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2002 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (क), (ख) तथा (घ) से (त) में उल्लिखित पदेन शासकीय सदस्यों द्वारा गठित होगा.

रायपुर, दिनांक 4 जून 2004

क्रमांक एफ 7-1/2002/(6)/11.—राज्य शासन एतद्द्वारा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-7-1-11/वा-3/2002 दिनांक 31 7-2003 जिसके द्वारा जिला निवेश प्रोत्साहन समितियों में अशासकीय सदस्यों का नामांकन किया गया था, को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शिवराजसिंह, प्रमुख सचिव

लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मई 2004

क्रमांक 2385/7366/03/19/तक.—राज्य शासन धमतरी सिहावा मार्ग के कि.मी. 5/4 पर स्थित महानदी अछोटा पुल की निर्माण लागत की राशि पथकर के रूप में पूर्णरूप से वसूल की जा चुकी है. अत: विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 23-10-97-जी-उन्नीस दिनांक 29 जून 1998 के अनुरूप उक्त पुल पर लगाया गया पथकर तत्काल प्रभाव से समाप्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमिताभ जैन, विशेष सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ क़ल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 मई 2004

क्रमांक 525/2042/32/03.—एतद्‌द्वारा छ. ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) के अंतर्गत राज्य शासन ने सूचना क्रमांक 2129/2042/32/03, दिनांक 10-11-2003 द्वारा विकास योजना भिलाई-दुर्ग में ग्राम-सिरसाकला के लिए उपांतरण प्रस्तावित किए गए थे, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए.

अत: राज्य शासन एतद्‌द्वारा ग्राम-सिरसाकला भिलाई-दुर्ग के खसरा क्रमांक 47, 48, 50, 52, 72, 103, 118, 119 कुल रकबा 11.23 हेक्टेयर भूमि सूचना में किए गए उल्लेखानुसार विकास योजना भिलाई-दुर्ग में निर्धारित उपयोग आवासीय से कृषि (30 मीटर तक सघन वृक्षारोपण के साथ ट्रेंचिंग ग्राउंड) में उपांतरण करने की पुष्टि करता है. यह भी सूचित करता है कि उक्त उपांतरण भिलाई-दुर्ग विकास योजना का एकीकृत भाग होगा.

रायपुर, दिनांक 19 मई 2004

क्रमांक 528/एफ-2-5/32/04.—एतद्‌द्वारा छ. ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 "क" की उपधारा (2) के अंतर्गत राज्य शासन ने सूचना क्रमांक 101/एफ-2-5/32/04, दिनांक 29-1-2004 द्वारा विकास योजना रायपुर ग्राम-मठपुरैना के लिए उपांतरण प्रस्तावित किए गए थे, जिसकी सूचना दो समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी. सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए.

अत: राज्य शासन द्वारा ग्राम-मठपुरैना, रायपुर के खसरा क्रमांक 220, 221 कुल रकबा 37.05 एकड़ की सूचना में किए गए उल्लेखानुसार विकास योजना रायपुर में निर्धारित उपयोग आवासीय से कृषि (दुग्ध डेयरी) में उपांतरण करने की पुष्टि करता है. तथा सूचित करती है कि यह उपांतरण रायपुर विकास योजना का एकीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. सिन्हा, विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 11 मार्च 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 23/अ-82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	गोतमा प. ह. नं. 37	6.007	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	गोतमा जलाशय हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 मार्च 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 24/अ-82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	केनसरा प. ह. नं. 29	1.031	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	केनसरा जलाशय हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 11 मार्च 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्र. 25/अ-82/सन् 2003-2004.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5)-में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	धनुवारडेरा प. ह. नं. 23	1.109	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	धनुवारडेरा जलाशय हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 11 दिसम्बर 2003

क्रमांक 9623/भू-अर्जन/2003.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा (4) की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	छुईखदान	गंडई प. ह. नं. 12	0.06	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (सेतु निर्माण) संभाग, रायपुर.	गंडई नाला पुल के पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 16 जून 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-घरघोड़ा
- (ग) नगर/ग्राम-तमनार, प.ह.नं. 38
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-91.684 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
191/1	0.263
200/2	0.688
159/3	0.132
157/2 क	0.518
157/2 ख	0.129
159/2	0.295
160/2	0.203
175/1	0.146
143/1	0.194
143/3	0.190
363/2	0.186
113/1	0.384
113/2	0.214
113/3	0.259
113/4	0.263
113/5	0.170
231/3 क	0.129
231/3 ख	0.134
352/4 क	0.304
352/4 ख	0.349
227/1	0.049
116/1	0.257
116/2	0.257
118	0.243
229/46/3 ख	0.243
163/2	0.356
229/46/4 ख/1	0.259
155	0.121
121/2	0.263
121/3	0.065
125/4	0.304
231/17 ख	0.259
150/7, 151/2	0.121
222	0.279
229/18 ख	0.198
232/9 छ	0.076
352/8 घ	0.146
225/2	0.648
229/12 क	0.307
229/15	0.340
147/1	0.174
225/6	0.162
209/1 ख	0.210
210/1	0.599
143/4 क	0.356
137/7	0.202
143/4 ख	0.356

(1)	(2)
143/4 ग	0.267
146/1	0.837
225/4	0.652
231/1	0.279
146/2	0.243
149	0.664
150/1, 151/2 क	0.089
173/3	0.312
150/3, 151/1 क	0.486
173/2	0.154
151/1 ख	0.214
152	1.072
143/4 छ	0.324
156	0.546
154	0.550
157/1	0.769
160/1 क	0.506
160/1 ख	0.304
160/3	0.219
224/1 ख	0.405
182/1	0.453
167/1	0.547
161	0.623
177	1.148
187/1	0.344
175/2	0.299
187/3	0.105
191/2 ख	0.142
192/4	0.219
200/3	0.166
232/1 क/2	0.186
173/1	0.486
192/2	0.259

(1)	(2)
229/42 ख	0.142
231/30 ख	0.016
173/4	0.324
176/2	0.424
178	2.120
189/2	0.178
179/2	0.174
229/46/2 क	0.393
329/30 क	0.441
231/14	0.316
182/2	0.202
184/1	0.101
188/1	0.230
190/1	0.061
246	0.154
229/29	0.291
231/7	0.256
200/4	0.259
188/2	0.393
190/2	0.405
192/1	0.603
193/6 क	0.071
193/7 क	0.027
229/23 क	0.617
229/51	0.116
231/11	1.072
354/6	0.604
253/1 क	0.633
197/6	0.121
197/3 ख	0.047
197/9 क	0.094
197/2 क	0.133
197/10 क	0.089
197/4 क	0.203
229/44 क	0.106
197/8 क	0.081
231/22 ख	0.077
352/7 क	0.323
219/2	0.117
219/3	0.117
211/1	0.769
211/2	1.408

(1)	(2)	(1)	(2)
223	0.466	215	0.267
213/1	0.223	234	0.300
213/2	0.227	245	0.081
352/8 क	0.146	237	0.287
219/1	0.239	239/2	0.672
229/9 क	0.522	239/1	1.161
231/25 क	0.178	137/6	0.227
225/3	0.417	229/33	0.113
229/16 क	0.945	352/3	0.437
229/49 क	0.231	229/34 क	0.174
354/4 क	0.366	232/9 ग	0.299
225/5 क	0.198	352/8 ग	0.146
229/6 क	0.304	351/2 च	0.121
229/8	0.421	352/11	0.380
352/2	0.441	229/44 ख	0.178
229/13/2	0.425	197/1/ज	0.121
225/8	0.416	197/3 क	0.061
229/16 ख	0.945	229/46/5	0.243
231/8	0.162	180	0.376
145	1.145	352/10	0.142
179/1	0.469	230/2	1.012
181	0.097	230/3	0.324
229/27	0.263	330/1	1.781
229/28 ख	0.101	229/7	0.263
232/4	0.162	231/27	0.247
232/9 ख/2	0.162	227/27/5	0.809
232/9 च	0.758	352/1	0.243
232/10 ख	2.120	188/1 ख	0.619
232/9 ख/1	0.951	229/29 ख	0.291
232/9 ख/3	0.809	238	0.377
232/1 ङ	0.445	363/1	0.748
232/5	0.142	363/3	0.162
232/6	0.097	370/2	0.202
232/9 क	0.607	370/3	0.587
232/7	0.093	229/13/1	0.424
197/1 क	0.081	231/9	0.125
231/22 क	0.081	243	0.150
197/5	0.243	240	0.227
3252/12 क	0.105	248	0.535
197/1 च	0.121	229/4 ख	0.202
197/1 झ	0.042	229/26	0.492
197/11	0.081	231/10	0.142

(1)	(2)
231/12	0.388
231/1 ग	0.109
192/3	1.157
184/2	0.099
212/2	1.215
162/2	0.243
354/2 ख	0.283
330/4 क	0.162
357/4	0.219
357/5	0.397
229/46/4 ख/2	0.259
197/1 ग	0.060
197/2 ख	0.102
197/2 ग	0.024
197/ 4 ख	0.202
197/7	0.129
197/3 ग	0.024
197/9 ख	0.100
197/8 ख	0.081
197/10 ख	0.089
352/7 ग	0.057
352/12 ग	0.170
229/47/3	0.607
352/6 ख	0.202
216	0.328
235, 236	0.449
209/1 ग	0.194
221/3	0.127
229/6 ख/3	0.158
357/6	0.308
231/17 क	0.128
229/23 ख	0.275
229/6 ख/2	0.162
229/12 ख	0.300
231/32	0.813
231/16 छ	0.405
347/6	0.344
231/4 क	0.202
231/5	0.190
239/3	0.486
148/1	0.146
148/6	0.182
231/2 क	0.138
279/3	0.040
229/24	0.255
197/1 घ	0.101
197/1 ङ	0.081
352/12 ख	0.105
197/8	0.081
212/2	1.215
153	0.223
299/11	0.360
347/5	0.405
229/25 क	0.083
222/2	0.049
223/2	0.156
233/2	0.199
372/2	0.267
229/47/4	1.161
197/1 क	0.121
197/1 ज	0.101
147/1	0.174
225/6	0.162
148/3	0.121
225/5 ख	0.146
148/4	0.113
147/2	0.170
229/46/1	0.445
148/2	0.121
148/5	0.203
148/7	0.174
231/2 ख	0.105
147/3	0.154
229/12 ग	0.307
229/28 ग	0.202
योग 285	91.684

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-औद्योगिक प्रयोजन 1000 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट की स्थापना हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (रा) घरघोड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर (खनिज शाखा) राजनांदगांव (छ. ग.)

राजनांदगांव, दिनांक 20 फरवरी 2004

क्रमांक 619/मा.चि./2003.—गौण खनिज नियमावली 1996 के नियम 12 के अंतर्गत निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया क्षेत्र भवन निर्माण के सामग्री के रूप में उपयोग में लायी जाने वाली चूने के विनिर्माण के लिये भट्टी में डालकर, उपयोग में लिया जाने वाला चूना पत्थर, उत्खनि पट्टा पर दिये जाने हेतु छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिन पश्चात् क्षेत्र उपलब्ध होगा.

क्र.	पूर्व पट्टेदारों का नाम	ग्राम का नाम	तहसील	खसरा नं.	रकबा (एकड़ में)	खनिज का नाम	भूमि का विवरण	खुला घोषित किये जाने का कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	श्री विजय कुमार कौशल आत्मज जे. आर. कौशल भिलाई जिला-दुर्ग	जोरातराई	राज.	164	3.50 एकड़	चूना पत्थर	शासकीय भूमि	अवधि समाप्त होने के कारण

टीप :— वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करना होगा.

सही/-
(जी. एस. मिश्रा)
कलेक्टर